सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

08 अध्याय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आई थी। 79 मिलियन टन के कम उत्पादन से सीआईएल आज विश्व में एक सबसे बड़ी कोयला उत्पादक बन गई है।

सीआईएल, खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए, पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करती है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। उनकी सहायता के लिए पांच कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) और निदेशक (व्यापार विकास) हैं। प्रत्येक सहायक कंपनियों के अपने निदेशक मंडल हैं जिनके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं और जिसमें उनकी सहायता कार्यात्मक निदेशक करते हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में कुछ अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

सीआईएल (समेकित) ने वर्ष 2025–26 अर्थात 01.04.2025 से 30.09.2025 तक 89,921.05 करोड़ रु. की सकल बिक्री प्राप्त की और 58,789.66 करोड़ रु. की निवल बिक्री हुई। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025–26 में नवम्बर, 2025 तक रॉयल्टी, जीएसटी, जीएसटी मुआवजा उपकर, उपकर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ), नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) और अन्य लेवी के लिए 37,507.47 करोड़ रु. का भुगतान/समायोजन किया है।

वित्त वर्ष 2025–26 (नवबंर, 2025) के दौरान, सीआईएल ने प्रत्येक के लिए पूर्णतः प्रदत 10 रु. की फेस वैल्यू के लिए प्रति शेयर 15.75 रु. की दर पर 9,706.30 करोड़ रु. की अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। उपर्युक्त कुल अंतरिम लाभांश में से, भारत सरकार का शेयर 6,127.91 करोड़ रु. था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 5.15 रु. के अंतिम लाभांश का भुगतान वित्त वर्ष 2025–26 में किया गया था जिसकी राशि 3,173.81 करोड़ रू. थी और भारत सरकार का शेयर 2,003.73 करोड़ रू. था। वित्त वर्ष 2025–26 (नवम्बर, 2025) में भारत सरकार को 8,131.64 करोड़ रुपये का कुल लाभांश का भुगतान किया गया था।

2. वर्ष 2025–26 में उपलब्धियां (नवंबर, 2025 तक–अनंतिम)

सीआईएल ने नवंबर, 25 माह में 67.99 मि.ट. कोयले के उच्चतम उत्पादन पर समाप्त किया, जो स्थापना के बाद से नवंबर का सबसे अधिक उत्पादन है, जो एक वर्ष पहले इसी माह 67.18 मि.ट. की तुलना में 1.2ः की वृद्धि दर्ज करता है।

अप्रैल '25–नवंबर' 25 के दौरान, सीआईएल ने क्रमशः 525.31 मि.ट. और 1,300.22 एमसीयूएम के यथानुपात एएपी लक्ष्य के मुकाबले 453.51 मि.ट. कोयला उत्पादन और 1199.43 एमसीयूएम ओबीआर हासिल किया। प्रो–राटा एएपी लक्ष्य के खिलाफ उपलब्धि 86.3ः और 92.2ः थी। डब्ल्यूसीएल और एमसीएल कोयला उत्पादन के अपने प्रो–राटा प्रगतिशील एएपी लक्ष्य से आगे हैं और ईसीएल, ओबीआर के अपने प्रो–राटा प्रगतिशील आप लक्ष्य से आगे हैं। एनसीएल और एससीएल कोयला उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि और एसईसीएल अप्रैल, 25– नवम्बर, 25 के दौरान ओबी हटाने में सकारात्मक वृद्धि में हैं।

3. सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन (एचआर) पहलः

सीआईएल ने अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित मानव संसाधन परिवर्तनकारी पहल की हैंः–

3.1 एचआर नियमावली को अद्यतित और अनुरक्षित करना

सीआईएल कार्यकारी एचआर मैनुअल – कार्यकारी

मानव संसाधन नियमों और नीतियों के सारांश को लगातार अद्यतित किया गया है और इसे सीआईएल की वेबसाइट में माननीय कोयला मंत्री द्वारा 01.11. 2020 को लॉन्च करने के बाद से प्रत्येक महीने की 1 तारीख को प्रकाशित किया गया है। यह अब एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है जो न केवल नियमों और नीतियों के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा बल्कि अधिकारियों के मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों से निपटने में खुलापन और पारदर्शिता भी पैदा करेगा। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम्पनी की नीतियां सभी सहायक कम्पनियों में सुसंगत और एक समान रूप से कार्यान्वित हों।

3.2 एचआर नीतियों/नियमों की समीक्षा

एक सतत प्रक्रिया के रूप में, सीआईएल की मानव संसाधन नीतियों/नियमों को अन्य सीपीएसई, सरकारी दिशानिर्देशों और संगठन की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारने हेतु अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्क निर्धारित किया गया है। इस उपयोग के तहत, चालू वर्ष में लगभग 3 नई नीतियां/नियम बनाए गए हैं और 40 मौजूदा नीतियों/नियमों को संशोधित किया गया है तथा एकरूपता लाने के लिए 11 से अधिक नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। कुछ नीतियां और नियम संशोधन, तैयारी और प्रकिया के अधीन है। प्रमुख नीतियों / नियमों में सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, भर्ती नियम, संवर्ग योजनाएं, चिकित्सा उपस्थिति नियम, और अनुकंपा रोजगार से संबंधित प्रावधान, पार्श्व भर्ती से संबंधित प्रावधान, टीए/डीए नियमों में संशोधन, निष्पादन और प्रबंधन प्रणाली में एसपीएआरआरओडब्ल्यू आदि शामिल हैं।

4. सीआईएल के लोगों का कार्य निष्पादन

कर्मचारी भारत में कोयला खनन के केंद्रीय विषय हैं और सीआईएल में लोगों की प्रक्रियाओं में न केवल कंपनी के प्रचालनों की मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं, बल्कि ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग भी शामिल हैं। कई हितधारकों में कंपनी के स्वयं के कर्मचारी और उनके परिवार, लगभग 114844 ठेका कामगार, कोलफील्ड्स के आसपास के ग्रामीण, सहायक उद्योग, कोलफील्ड्स आदि में प्रचालनरत सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और उपयुक्त विकास के लिए अपने लोगों, नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हुए कंपनी के हितधारकों की बदलती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

4.1 जनशक्ति

दिनांक 01.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार सीआईएल की अपनी सहायक कंपनियों सहित कुल जनशक्ति 214333 हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी	01.04.2023 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.01.2025 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.04.2025 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.01.2026 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
1	ईसीएल	51074	48711	47678	46996	45264
2	बीसीसीएल	37037	33920	32599	32124	30962
3	सीसीएल	34975	33990	33420	33096	32467
4	डब्ल्यूसीएल	34390	33352	32442	32267	31468
5	एसईसीएल	41832	39528	37959	37528	36674
6	एमसीएल	21827	21493	21184	21060	20705
7	एनसीएल	13753	13770	13466	13312	12972
8	एनईसी	667	585	558	537	506
9	सीएमपीडीआई	2855	2751	2738	2708	2661

क्र.सं.	कंपनी	01.04.2023 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.01.2025 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.04.2025 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.01.2026 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
10	डीसीसी	133	113	डीसीसी की जनशक्ति एसईसीएल के आंकड़े में शामिल है	डीसीसी की जनशक्ति एसईसीएल के आंकड़े में शामिल है	डीसीसी की जनशक्ति एसईसीएल के आंकड़े में शामिल है
11	सीआईएल (मुख्यालय)	667	648	648	644	654
कुल		**239210**	**228861**	**222692**	**220272**	**214333**

5. कर्मचारी कल्याण

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। समाज के सभी वर्गों जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों के साथ–साथ समाज के अन्य हाशिए के वर्गों को बिना किसी भेदभाव के जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे नीचे दी गई हैं: –

5.1 आवासीय सुविधाएं:

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, सभी पात्र कर्मचारियों को उपलब्धता और कंपनी नियमों के अध्यधीन कंपनी क्वॉटर प्रदान किए जाते हैं। सुरक्षित और उपयुक्त आवास सुनिश्चित करने के लिए नियमित मरम्मत और रख–रखाव किया जाता है जिसमें ढांचागत मरम्मत शामिल है। फिलहाल सीआईएल और उसके सहायक कंपनियों में कुल 323068 क्वार्टर उपलब्ध हैं।

5.2 जल आपूर्ति

कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। पानी की आपूर्ति उचित उपचार के बाद की जाती है और कई 501 आरओ प्लांट / प्रेशर फिल्टर प्लांट भी आवासिय क्षेत्रों/कोलफील्डस में मौजूद हैं जो न केवल हमारे कर्मचारियों को बल्कि पड़ोस की आबादी को भी पूरा करते हैं।

5.3 शैक्षिक सुविधाएं

कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियां कर्मचारियों के बच्चों और आस–पास के समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोयला क्षेत्र क्षेत्रों में और उसके आसपास अपने स्कूल संचालित करती हैं। खनन क्षेत्रों में 67 स्कूलों (यानी 46 डीएवी स्कूल, 17 केंद्रीय विद्यालय, 2 सरस्वती विद्या मंदिर, 1 रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ, 1 डीपीएस) के संचालन के अलावा, कुछ शैक्षणिक संस्थानों को सामयिक सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता। इसके अलावा, 120 निजी रूप से प्रबंधित स्कूल (आवर्ती सहायता अनुदान) और 32 स्कूल जहां कंपनियों द्वारा प्रदान की गई अवसंरचना के आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

5.4 कोल इंडिया छात्रवृति योजना:

कोल इंडिया लि के कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कारपोरेट स्वैच्छिक सुविधाओं के भाग के रूप में सीआईएल छात्रवृत्ति योजना (प्रेरणा) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। छात्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, अर्थात् मेरिट और सामान्य छात्रवृत्ति:

- मेरिट स्कॉलरशिप के तहत, 10वीं/12वीं/राज्य बोर्ड/95% और उससे अधिक में 1 से 20वीं स्थिति प्राप्त करने पर, जहां योग्यता घोषित नहीं की गई है, को कवर किया जाता है।
- सामान्य छात्रवृत्ति के तहत निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए किसी भी विषय में कक्षा V से स्नातक / स्नातकोत्तर तक प्रदान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024–25 में1785 वार्डों को कुल 1.58 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति (सामान्य और मेरिट छात्रवृत्ति मिलाकर) दी गई।

उपरोक्त के अलावा, नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्रः हर साल सीआईएल कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को क्रमशः 5000 रुपये और 7000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो 10 वीं और 12 वीं कक्षा बोर्ड स्तर की परीक्षा में कुल 90ः या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं।

देश में तकनीकी और शिक्षा की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड गैर–कार्यकारी कैडर कर्मचारियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा की लागत को ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की सीमा तक पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिन्होंने आईआईटी, एनआईटी, आईएसएम और सरकारी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2024–25 में 769 छात्रों/वार्डों के लिए कुल 5.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

5.5 चिकित्सा सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कंपनी के स्वामित्व वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और आपातकालीन सेवाओं और आंतरिक रोगी चिकित्सा देखभाल के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। विशिष्ट उपचार के लिए, जहां विशेषज्ञता/सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें प्रतिष्ठित सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए भी भेजा जाता है। खनन वातावरण में प्रचलित बीमारियों, जैसे व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों जैसी बीमारियों पर विशेष ध्यान देने के साथ नियमित चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। रोगी को अस्पतालों तक ले जाने के लिए, नवीनतम तकनीक और जीवन रक्षक प्रणालियों के साथ एम्बुलेंस पूरे कोयला क्षेत्रों में केंद्रीय स्थानों पर प्रदान की जाती हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानों जैसे 64 अस्पतालों (जिसमें केंद्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल शामिल हैं), 300 औषधालयों (1 आयुर्वेदिक सहित), 3781 बिस्तर, 505 एम्बुलेंस और 2 मोबाइल वैन के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है। पूरी कंपनी में 1054 डॉक्टर और 2947 पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं।

5.6 सांविधिक कल्याण सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, कोयला खानों के लिए विभिन्न सांवधिक कल्याण सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर्स आदि चला रही हैं। सीआईएल में कुल 335 कैंटीन, 38 क्रेच, 90 पिट हेड बाथ और 458 रेस्ट शेल्टर प्रदान किए गए हैं।

5.7 स्वैच्छिक कल्याण उपाय

क. सहकारी भंडार ऋण समितियां और बैंकिंग सुविधाएं

कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में कर्मचारियों के लाभ के लिए कई केंद्रीय, प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ–साथ क्रेडिट सोसाइटी भी चलाई जा रही है। कोयला कंपनियों का प्रबंधन कर्मचारियों के लाभ के लिए कोलफील्ड्स/आवासीय क्षेत्रों में अपनी शाखाएं और विस्तार काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। क्रेडिट सोसायटी ट्रस्ट के आधार पर कार्य करती है जो कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान का उपयोग करके संचालित होती है और बैंक शाखाएं आस–पास के समुदायों की सेवा करती हैं। इसी तरह, आवासीय कॉलोनियों के करीब सुविधाओं को खोलने को प्रोत्साहित करके डाकघरों को श्रमिकों के निकट लाने के प्रयास किए गए हैं।

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों (22 केंद्रीय सहकारी समितियां, 76 प्राथमिक सहकारी समितियां, 58 क्रेडिट समितियां) में कुल 156 सहकारी समितियां मौजूद हैं और सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों (331 बैंक शाखाएं, 35 विस्तार काउंटर और 5 सैटेलाइट बैंक शाखाएं) में कुल 371 बैंकिंग सुविधाएं मौजूद हैं।

ख. अवकाश गृह

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए रियायती कीमत पर पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों पर हॉलिडे होम की सुविधा प्रदान करता है। ये सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध हैं। वर्तमान में, 10 स्थानों पुरी, मनाली, दार्जिलिंग, कोवलम, मुन्नार,

तिरुपति, हरिद्वार, कटरा, दीघा और गोवा में हॉलिडे होम सुविधाएं हैं।

ग. मनोरंजन और खेल सुविधाएं:

श्रमिकों और उनके परिवारों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों की आवासीय कॉलोनियों के पास मनोरंजन और खेल सुविधाएं हैं।

खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोल इंडिया के पास कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रोमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) के माध्यम से प्रशासित एक अनुमोदित खेल नीति है, जो पश्चिम बंगाल सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निकाय है; और यह संघ कोयला क्षेत्र सहित प्रायोजन/वित्तीय सहायता प्रदान करके खेल और संस्कृति का समर्थन करता है। आवासीय क्षेत्रों के पास खेल परिसर, सांस्कृतिक हॉल और व्यायामशाला उपलब्ध हैं। इंटर कंपनी/एरिया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेल कैलेंडर (क्रिकेट/हॉकी/लॉन टेनिस/टेबल टेनिस/बैडमिंटन/फुटबॉल/ब्रिज/शतरंज/वॉलीबॉल) के अनुसार आयोजित किए जाते हैं।

घ. खेल कूद

खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोल इंडिया के पास कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रोमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) के माध्यम से प्रशासित एक अनुमोदित खेल नीति है, जो पश्चिम बंगाल सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निकाय है; और यह संघ कोयला क्षेत्र सहित प्रायोजन/वित्तीय सहायता प्रदान करके खेल और संस्कृति का समर्थन करता है। आवासीय क्षेत्रों के पास खेल परिसर, सांस्कृतिक हॉल और व्यायामशाला उपलब्ध हैं। इंटर कंपनी/एरिया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेल कैलेंडर (क्रिकेट/हॉकी/लॉन टेनिस/टेबल टेनिस/बैडमिंटन/फुटबॉल/ब्रिज/शतरंज/वॉलीबॉल) के अनुसार आयोजित किए जाते हैं।

ङ. अन्य कल्याणकारी सुविधाएं/गतिविधियां:

सामुदायिक कार्यक्रम कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कल्याणकारी उपायों का मूल हैं। खेल आयोजनों/मनोरंजक गतिविधियों के अलावा, कर्मचारियों के साथ–साथ उनके परिवार के सदस्यों की समग्र भागीदारी के लिए कार्यालय के साथ–साथ आवासीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम/त्योहारों या महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और दिनों का उत्सव, टॉक शो की सुविधाएं आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा की गई ऐसी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i) टाउनशिप और क्लब, खेल का मैदान, बच्चों के पार्क, कल्याण मंडप, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि जैसी कल्याणकारी सुविधाएं हर कंपनी द्वारा हर क्षेत्र/इकाई में प्रदान की जाती हैं।

ii) कंपनी के कैलेंडर के अनुसार इंटर कंपनी/एरिया कल्चरल मीट आयोजित की जाती है।

iii) स्वच्छता–पखवाड़ा/विशेष अभियान और अन्य सरकारी पहलों के तहत कार्यक्रम।

iv) सभी राष्ट्रीय अवकाशों/विशेष दिनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस/पर्यावरण दिवस/खनिक दिवस आदि का आयोजन।

v) प्रत्येक प्रतिष्ठान में प्रत्येक माह के अंत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान।

vi) सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न विषयों पर टॉक शो का आयोजन। वर्तमान में, कोल इंडिया लिमिटेड के स्वर्ण जयंती वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में, प्रतिष्ठित हस्तियों को कंपनी भर में टॉक शो के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

vii) विविध गतिविधियां यथा सहायक कल्याणकारी गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार टैलेंट शो/यंग अचीवर्स प्रोग्राम/कैंप आदि।

5.8 सीआईएल की कल्याण बोर्ड बैठक

कोल इंडिया का कल्याण बोर्ड कंपनी के कर्मचारियों के जीवनयापन को बेहतर करने और इसमें सुधार करने के लिए कल्याण नीतियों से संबंधित निर्णय लेने वाला मंच है।

सीआईएल के कल्याण बोर्ड के सदस्यों में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हैं जो नियमित रुप से कल्याण उपायों पर चर्चा तथा विभिन्न कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है; कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रुप से की जा रही है।

6. कर्मचारी प्रशिक्षण

पिछले 3 वर्षों के लिए सीआईएल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

विवरण	2023–24	2024–25	2025–2026 (31.12.25 तक)
कार्यपालक	30270	26103	21652
गैर–कार्यपालक	73550	67122	57801
कुल	103820	93225	79453

ठेका कामगारों से संबंधित प्रशिक्षण ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	2022–23	2023–24	2025–2026 (31.12.25 तक)
ठेका कामगार	110971	106324	
कुल संविदा कर्मियों को प्रशिक्षित किए गए कुल ठेका कामगार	39374	44249	49441

6.2 कर्मचारियों के लाभ के लिए सहायक विकासात्मक उपाय:

(i) **कौशल विकास कार्यक्रम:** कर्मचारी दक्षताओं को बढ़ाने और कैरियर की प्रगति का समर्थन करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(a) निदेशकों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

- मंथन: नए निदेशकों के लिए।
- दिशा: नए पदोन्नत महाप्रबंधकों के लिए।
- जिज्ञासा: विश्व स्तर पर आने वाले रुझानों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम।

(b) वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण:

- दक्ष: क्षमता निर्माण आयोग के साथ साझेदारी में स्कोप द्वारा
- एडवांस ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम (एजीएलपी 2.0)% आईआईएम, कलकत्ता के साथ साझेदारी में स्कोप द्वारा
- टनलिंग टेक्नोलॉजी में मास्टर क्लास – टनलिंग–द डायनेमिक, अनिश्चितताएं और समाधान: कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्सुच्सस्टोलेनहेगरबैक (वीएसएच), स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया; ईटीएच ज्यूरिख, आईआईटी बॉम्बे
- आरोहण – नई ऊंचाइयों को छूना: एमडीआई/एएससीआई के साथ साझेदारी में आईआईसीएम द्वारा एक इन–हाउस कार्यक्रम।

(c) नियमित कर्मचारियों के लिए कंपनियों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(d) आवश्यकता के आधार पर, ठेकेदार के श्रमिकों को भी प्रदान किया जाता है और उन्हें कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरने के लिए कहा जाता है।

(e) गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं।

(ii) **विविधता समावेशी उपाय:** महिलाओं को समावेशी और इक्विटी–आधारित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और वैधानिक प्रावधानों के अलावा कार्यस्थल पर भेदभाव को रोकने के लिए नीतियां और उपाय मौजूद हैं।

(iii) **सहायक अवकाश लाभ:**

- इसके प्रारंभ होने की तारीख से नियमित महिला कर्मचारियों को 2 से कम जीवित बच्चों के लिए 180 दिनों का मातृत्व लाभ।
- नाबालिग बच्चों वाली नियमित महिला

कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) के लिए बाल देखभाल अवकाश दिया जाता है, ताकि दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल की जा सके, चाहे वह पालन–पोषण के लिए हो या उनकी किसी भी आवश्यकता जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल करने के लिए।

- पात्र पुरुष कर्मचारियों को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए बच्चे के जन्म की तारीख से 6 महीने तक के अधिकतम दो बच्चों के लिए 5 दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।

(iv) विभिन्न नीतियों/योजनाओं जैसे हाउस बिल्डिंग/लैपटॉप स्कीम/मोबाइल/यूनिफॉर्म आदि के तहत वित्तीय अग्रिम/सहायता प्रदान की जाती है।

7. प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर, कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिए जाते हैं। सभी परियोजनाओं में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी), सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

8. ठेका कामगार

8.1 उपलब्ध कराया जा रहा मजदूरी, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

कोल इंडिया लिमिटेड आस–पास के ग्रामीणों के लिए रोजगार का एक स्रोत है। 01.01.2026 तक सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में खनन और गैर–खनन गतिविधियों में विभिन्न कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में 114844 ठेकेदारों के श्रमिक कार्यरत हैं। कंपनी ठेकेदार द्वारा ठेकेदारों के श्रमिकों के वेतन और कल्याण से संबंधित सभी कानूनी और कंपनी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कोल इंडिया लि में ठेका कामगारों, जो खनन कार्यकलापों में लगे हुए हैं, के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। ठेकेदार कामगारों को खानों में काम करने के लिए अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ठेकेदारों के कर्मचारियों को कंपनी के अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। सभी ठेकेदारों के श्रमिकों की चिकित्सा जांच, सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, खनन जूते, डस्ट मास्क, सुरक्षा लैंप और भारी पानी वाली खानों में गमबूट और उचित हुड सहित रेनकोट प्रदान किए जा रहे हैं। नियमित कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली कैंटीन और विश्राम आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं आदि जैसी सुविधाओं का भी ठेकेदार श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (सीएमपीएफ और सीएमपीएस/ईपीएफ) के तहत सभी ठेकेदारों के श्रमिकों को सफलतापूर्वक कवर किया है। ठेकेदारों के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस मामले में किसी भी तरह के शोषण से बचा जा सके।

ठेका कामगारों (विनियमन एवं संशोधन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत ठेका कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'ठेका कामगार भुगतान प्रबंधन पोर्टल' का सृजन और प्रारंभ किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या सहित व्यापक डाटाबेस इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यह पोर्टल सभी ठेका कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति को देख सकें।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 18 फरवरी, 2022 की अपनी राजपत्रित अधिसूचना के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों को एस.ओ.2063 दिनांक 21 जून, 1988 के तहत क्रम संख्या 1 से 3 में विनिर्दिष्ट (निषिद्ध) कार्यों पर ठेका कामगारों को नियुक्त करने की छूट दी है जिसे श्रम

और रोजगार मंत्रालय द्वारा 07.12.2021 से पांच वर्ष के लिए प्रकाशित भारत के राजपत्र भाग– II खंड–3, उपखंड (पप) में प्रकाशित किया गया था ।

9. बाल श्रम/बंधुआ मजदूर/बंधुआ मजदूर।

कंपनी में बाल श्रम, बंधुआ श्रम या बंधुआ मजदूरी को किसी भी रूप में नियोजित करना कंपनी में या तो स्वयं या कंपनी के संचालन की मूल्य श्रृंखला में किसी भी हितधारक द्वारा निषिद्ध है। खानों में लगे सभी ठेका कामगारों की अनिवार्य प्रारंभिक चिकित्सा जांच के माध्यम से इसकी कड़ाई से निगरानी की जाती है।

10. संघ की स्वतंत्रता

कंपनी में मानव संसाधन के प्रबंधन में लोकतांत्रिक मूल्य निहित हैं। कर्मचारी किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र हैं। संगठनों। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं कोयला क्षेत्रों में काम कर रही हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानदंडों के तहत कंपनी में द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

11. भेदभाव न करना

कंपनी कर्मचारी प्रबंधन में गैर–भेदभाव के सिद्धांतों का पालन करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, पंथ, लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिया जाता है।

12. संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल

i. कार्यकारी संवर्ग में संगठन में शामिल होने वाले सभी नए प्रवेशकों का प्रोजेक्ट "आगमन" के तहत स्वागत किया जा रहा है। सहायक कंपनियों में पोस्टिंग से पहले, उन्हें भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम)–सीआईएल के उत्कृष्टता केंद्र, रांची में ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रदान किया जाता है।

ii. सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई दी जाती है और उनकी सेवानिवृत्ति देय राशि का निपटान परियोजना सम्मान के तहत किया जाता है। सीआईएल के अध्यक्ष और सहायक कंपनियों के सीएमडी संगठन की सफलता के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

13. निरंतर सुधार और ज्ञान प्रबंधन पहल

ज्ञान के निरंतर आदान–प्रदान के लिए, ओएनजीसी के तत्वावधान में सभी सीपीएसई के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अपनी विशेष उपलब्धियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक साझा मंच है। सीआईएल समय–समय पर "समन्वय पोर्टल" के सूचना बैंक में भी योगदान दे रहा है। कुछ सहायक कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए ई–पाठशाला और ई–गुरुकुल जैसे पोर्टल शुरू करके ज्ञान प्रबंधन पहल भी की है, जहां कर्मचारियों द्वारा अद्वितीय अनुभव साझा किए जाते हैं।

14. लोक विकास पहल निगरानी नीति

i. ग्रेच्युटी – कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर ₹20 लाख तक का ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त होता है।

ii. सीएमपीएफ – सभी कर्मचारी कोयला खान भविष्य योजना के तहत कवर किए जाते हैं जो एक अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा समान हिस्सेदारी होती है।

iii. कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) – सभी कर्मचारी कोयला खान पेंशन योजना के तहत कवर किए जाते हैं, जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति पर, उन्हें मासिक पेंशन के रूप में उनके कुल परिलब्धियों का 25% तक प्राप्त होता है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, आश्रित पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।

iv. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सहायता – सीआईएल ने अपने 2.14 लाख कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना शुरू की है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा सके। शर्तों के अधीन, यह योजना गैर–कार्यकारी लोगों के लिए अधिकतम 8 लाख रुपये और सामान्य मामलों में कार्यपालकों के लिए 25 लाख रुपये तक की इनडोर और आउटडोर उपचार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है, और हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारियों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एचआईवी–एड्स और एडिसन रोग / अधिवृक्क हिस्टोप्लाज्मोस जैसी गंभीर बीमारियों के मामले में वास्तविक सहायता प्रदान करती है। गंभीर दुर्घटनाओं के मामले, सेरेब्रल बुखार (अधिकारियों और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अलग)।

v. अधिवर्षिता पेंशन योजना – सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों

को वार्षिकी सेवा प्रदाता के माध्यम से वार्षिकी के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए एक सेवानिवृत्ति पेंशन योजना तैयार की है। इसे 01—01—2007 से लागू किया गया है।

vi. कर्मचारी मुआवजा — ड्यूटी के दौरान मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करने का पात्र है। इसके अलावा, कंपनी एक्स—ग्रेशिया के रूप में अतिरिक्त 90,000 रुपये और घातक खान दुर्घटना के मामले में 25 लाख रुपये या कोविड—19 के कारण मृत्यु के मामले में 15 रुपये का मुआवजा प्रदान करती है।

vii. जीवन कवर योजना — सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, कर्मचारी के आश्रित जीवन कवर योजना के तहत ₹ 1,25,000 की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

viii. आश्रित को रोजगार — किसी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में, सेवा में रहते हुए, एक आश्रित कंपनी में रोजगार के लिए हकदार होता है

15. शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायतों की ई—फाइलिंग के लिए, सीआईएल द्वारा पूर्व में ऑन—लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस) शुरू की गई थी। इसके बाद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में आनॅलाइन शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली को केंद्रीकृत बनाने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुसरण में, सीआईएल ने केन्द्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अपनाया है, जिसे कार्य दोहराव से बचने के लिए ओएलजीएमएस को चरणबद्ध करते हुए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एमआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था।

- त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। शिकायतों और उनके रिस्पांस की निगरानी/समीक्षा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों वाली शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। देरी किए बिना शिकायत के समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है और परिणाम पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां भी अंतरिम उत्तर की जरूरत होती है, वहां शिकायतकर्ता को ऐसा उत्तर भेजा भी जाता है।

यदि शिकायतें कोयला कंपनियों से संबंधित हैं, तो नोडल अधिकारी इसे संबंधित सहायक कंपनियों को उनकी टिप्पणियों/कार्रवाई के लिए अग्रेषित करते हैं। यदि यही सीआईएल के किसी अन्य विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित है तो उसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों पर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से इनको देखा जा रहा है और शीघ्रता से इनका निपटान किया जा रहा है।

16. पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति

कोल इंडिया लिमिटेड

सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई आर एंड आर नीतियां/योजनाएं समय के साथ विकसित हुई थीं और बदलती परिस्थितियों के जवाब में सीआईएल 1994, 2000, 2008 और 2012 की आर एंड आर नीति जैसे कई बदलाव हुए थे। सीआईएल की सहायक कंपनियां ज्यादातर सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती हैं और सीआईएल 2012 की आर एंड आर नीति का पालन करती हैं; एमसीएल को छोड़कर, जो ओडिशा आर एंड आर नीति, 2006 का पालन करता है। सीआईएल आर एंड आर नीति में लचीलेपन के खंड भी हैं, जहां सहायक कंपनी बोर्ड को संबंधित सहायक कंपनी में प्रचलित विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में उक्त नीति में आवश्यक संशोधन को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा 28.08.2015 को आरएफसीटीएलएआरआर (कठीनाईयों को दूर करना) आदेश, 2015 की घोषणा के अनुसार, सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, आर एंड आर लाभ और बुनियादी सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची I, II और III के अनुसार प्रदान की जानी हैं। इसके बाद, एमओसी ने सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि पर आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में अलग—अलग स्पष्टीकरण जारी किए हैं। तदनुसार, सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए आर एंड आर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार या पीएएफ द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रदान किए जा रहे हैं और प्रचलित प्रथा के अनुसार रोजगार प्रदान कर रहे हैं, यानी प्रत्येक दो एकड़ भूमि के लिए एक रोजगार। इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड ने 25.08.2020 को आयोजित अपनी 409वीं

बैठक में छोटे भूस्वामियों के साथ–साथ एक प्रभावित परिवार की आवश्यकता को कम करने के लिए सीआईएल की वार्षिकी योजना, 2020 को मंजूरी दी, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत अधिग्रहण की तारीख से पहले तीन साल से अधिक समय तक अधिग्रहित भूमि पर निर्भर था और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित था। राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा उनकी आय के सुसंगत स्रोत के लिए प्रमाणित किया गया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेडः

एनएलसीआईएल की एकीकृत परियोजनाओं के लिए भूमि की व्यापक आवश्यकता के कारण निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून को लागू करने की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और सेवा सुविधाओं को स्थापित करने के लिए खनन के लिए लिग्नाइट वाले इलाकों और समीपवर्ती कार्यनीतिक स्थानों में लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। एनएलसीआईएल उपर्युक्त परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के पीड़ादायी अनैच्छिक पुनर्वास के प्रति संवेदनशील है और विस्थापन के आघात को कम करने का प्रयास करता है। एनएलसीआईएल अपनी परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक और सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को लगातार और सचेत रूप से संतुलित कर रहा है।

एनएलसीआईएल ने आस–पास कई पुनर्वास केन्द्र (आरसी) विकसित किए हैं और इन क्षेत्रीय केन्द्रों को अच्छी अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सुख–सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों को इन आरसी में सुचारू रूप से बसाया गया है और उपयुक्त सरकार द्वारा समय–समय पर और जिला प्रशासन के सहयोग से दिए गए निदेशानुसार परिसंपत्तियों की हानि के लिए कानूनी मुआवजे के अलावा पुनर्वास उपाय भी किए गए हैं।

एनएलसीआईएल 31.12.2013 तक अधिगृहीत भूमि के लिए परियोजना प्रभावित आबादी के लाभ के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 का अनुसरण कर रहा है। आरएंडआर प्रशासक अर्थात कुड्डालोर जिले के कलेक्टर के समन्वय से कई आर एंड आर उपायों को लागू किया गया है।

दिनांक 01.01.2014 से अधिगृहीत भूमि के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची–I के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, एनएलसीआईएल बोर्ड की 25.11.2022 को आयोजित 524वीं बैठक में अनुमोदन के अनुसार, 01.01.2014 से अधिग्रहित भूमि के लिए कृषि भूमि (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम प्रावधान के सभी घटकों सहित) के लिए संशोधित न्यूनतम भूमि मुआवजा 25 लाख रुपये प्रति एकड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास स्थल भूमि के संबंध में, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में आवास स्थल भूमि के संबंध में न्यूनतम भूमि मुआवजा 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और शहरी क्षेत्र में आवास स्थल भूमि के संबंध में 5.0 करोड़ रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, विस्थापित परिवारों के लिए विभिन्न आउटसोर्स किए गए कार्यों में निरंतर रोजगार अथवा एकबारगी अनुदान अथवा वार्षिकी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विस्थापित परिवारों को उनकी आजीविका, कौशल विकास आदि के लिए निर्वाह अनुदान, परिवहन लागत और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

17. सीआईएल में पर्यावरण की देखभाल

सीआईएल अपने व्यापार प्रचालन को शुरू करते समय समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। यह पर्याप्त शमन पद्धतियों के साथ कोयले का खनन करते समय पर्यावरण की देखभाल के लिए भी प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के अपने प्रयास में, यह इस बात से परिचित है कि कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए एक सक्रिय निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल फुटप्रिंट्स कम से कम हों, निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- **एकीकृत परियोजना नियोजनः** नई कोयला खनन परियोजनाओं में, पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की योजना बनाना प्रमुख चिंताएं हैं। खनन लेआउट डिजाइन करते समय, प्रचालन के लिए संभव न्यूनतम सीमा तक भूमि (वन भूमि सहित) आवश्यकता को कम करने के लिए सावधानी बरती जा रही है। योजना बनाने में मृदा उत्खनन, संरक्षण और उद्धारित क्षेत्रों पर इसके पुनः उपयोग से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कम उत्सर्जनों के साथ बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सतही खनिकों और सतत खनिकों जैसी नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इन–पिट क्रशिंग और बेल्ट कन्वेयर प्रणाली के साथ ओपनकास्ट खानों की योजना बनाई जाती है ताकि वायु गुणवत्ता के स्तरों में सुधार किया जा सके। उत्पादन पश्चात भूमि का श्रेष्ठ उपयोग प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए उचित सम्मान के साथ परियोजनाओं के संबंध में योजना बनाई जाती है ताकि यह स्थानीय आबादी के लिए एक परिसंपत्ति बन जाए।

- **सांविधिक मंजूरियां और उनका अनुपालन:** अपेक्षित सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने के बाद ही परियोजनाओं का प्रचालन किया जा रहा है। विभिन्न मंजूरियों में दर्शाई गई सभी सांविधिक शर्तों का अनुपालन पूरी कर्मठता के साथ किया जा रहा है और सांविधिक एजेंसियों को समय–समय पर सूचित किया जा रहा है।

- **प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन:** सीआईएल खान योजना चरण से ही सतत खनन प्रथाओं का उपयोग और अनुसरण करके पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण के प्रमुख भौतिक और रासायनिक गुणों जैसे वायु, जल, जल भूविज्ञान, भू–कंपन, शोर, भूमि आदि की स्वीकार्य/अनुमेय सीमाओं को बनाए रखने के लिए खनन प्रचालनों के साथ–साथ विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पहलें की जा रही हैं।

क) वायु प्रदूषण और इसके नियंत्रण के उपाय: ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और कोयला ढुलाई के दौरान धूल उत्पादन को नियंत्रित करने और कम करने के लिए, सीआईएल ने परियोजनाओं के एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में उल्लिखित विभिन्न पहलों को शुरू किया है। ईएमपी प्रत्येक परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन करने के बाद शुरू किए गए कोयला खनन के कारण मौजूदा पर्यावरण और वन पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। वायु प्रदूषण और इसके नियंत्रण उपायों को कम करने के लिए मिस्ट स्प्रेयिंग प्रणाली, मोबाइल वॉटर स्प्रिंकलर और स्वचालित स्प्रिंकलर प्रदान किए गए हैं। सीआईएल द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:

i. सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई को कम करने के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्यान्वयन।

ii. कन्वेयर, कवर किए गए ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई और साइलो के माध्यम से रेलवे रेक में लोडिंग।

iii. ब्लैकटॉपिंग/कंक्रीट और कोयला ढुलाई के लिए सड़कों की मरम्मत और हॉल रोड को मजबूत करना।

iv. ट्रॉली माउंटेड और मोबाइल फॉग कैनन स्प्रिंक्लिग प्रणाली को विनियोजित करना।

v. परिवेशी वायु गुणवत्ता की रियल टाइम की निगरानी के लिए सीएएक्यूएमएस प्रणाली की स्थापना और सीपीसीबी और एसपीसीबी सर्वर के साथ एकीकरण, जहां भी इसका प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।

vi. परिवेशी वायु में पीएम10 सांद्रता की रियल टाइम की निगरानी के लिए पीएम10 विश्लेषकों की स्थापना करना।

vii. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी सहायक कंपनियों में मोबाइल वॉटर स्प्रिंकलर टैंकरों और रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई गई हैं।

viii. विंड ब्रेकर सिस्टम, वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम और ग्रीन बेल्ट प्लांटेशन का विकास।

ix. ब्लास्टिंग मुक्त कोयला निष्कर्षण के लिए ओपनकास्ट और यू/जी खानों में अतिरिक्त सतही खनिकों और सतत खनिकों की तैनाती।

ख) जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. जहां कहीं भी और जहां तक संभव हो, खानों को जीरो डिस्चार्ज पर प्रचालित किया जाता है।

ii. माइन डिस्चार्ज वॉटर को बड़े संप में संग्रहीत किया जाता है जो जल संचयन संरचना का कार्य करता है।

iii. खान के निर्वहन के लिए, पंप किए गए खान जल को इसके निर्वहन से पहले अवसादन के माध्यम से अवशोधित किया जाता है।

iv. कार्यशालाओं में बहिस्राव अवशोधन संयंत्र (ईटीपी) स्थापित किए गए हैं।

v. रिहायशी कॉलोनियों से निकलने वाले बहिस्राव का अवशोधन पारंपरिक साधनों के साथ–साथ टाउनशिप में डेजिगनेटिड 61 सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के माध्यम से भी किया जाता है।

vi. निर्धारित मानकों के अनुसार बहिस्राव जल गुणवत्ता निगरानी की जाती है और परिणाम सांविधिक प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जाते हैं।

vii. बहिस्राव जल गुणवत्ता की रियल टाइम पर निगरानी के लिए सतत जल गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है।

viii. सीआईएल की सहायक कंपनियां प्रत्येक परियोजना के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण,

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेती हैं। एनओसी, विस्तृत जल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट और भूजल मॉडलिंग के आधार पर प्रदान की जाती है।

ix. घरेलू और सिंचाई उद्देश्य के लिए आसपास के समुदाय हेतु पानी।

ग) **खान जल प्रबंधन:** दूसरे चरण के अवशोधन के लिए सतह पर बहिस्राव खान जल के अवशोधन हेतु खानों में खान निस्तारण अवशोधन संयंत्र (एमडीटीपी) स्थापित किए जाते हैं। अवशोधित खान जल का उपयोग आंशिक रूप से धूल दमन, अग्निशमन, वृक्षारोपण, धुलाई आदि के लिए किया जाता है। स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार, पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पास के गांवों में अवशोधित खान जल की आपूर्ति की जाती है। भूजल पर खनन गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, खान पट्टा क्षेत्र में और उसके आसपास खोदे गए कुओं और पीजोमीटर में भूजल स्तर की निगरानी की जा रही है। खान परिसरों और आसपास के गांवों के भीतर भूजल पुनर्भरण के लिए, वर्षा जल संचयन, तालाबों की खुदाई/लैगून का विकास, मौजूदा तालाबों/टैंकों आदि से गाद निकालने जैसी पहल की गई है। भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। खान, कारखाने और घरेलू बहिस्राव की नियमित निगरानी नियमानुसार की जाती है और वांछित कार्रवाई की जा रही है। इसकी रिपोर्टें नियमित रूप से एसपीसीबी और एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की जाती हैं।

घ) **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय:** ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, उपकरणों के उचित रखरखाव करने, खान और आवासीय क्षेत्र के आसपास ग्रीन बेल्ट तैयार करने, दिन के समय में ब्लास्टिंग और शोर वाले क्षेत्रों में ईयर मफ/ईयर प्लग के उपयोग करने जैसे विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं।

ड.) **खान बंद करने के दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन:** वर्ष 2009 में कोयला मंत्रालय द्वारा खान बंद करने के दिशा–निर्देश जारी करने और इसके बाद के संशोधनों के साथ, सभी परियोजनाओं के लिए खान बंद करने की योजना (एमसीपी) तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा, उन कोयला खानों के प्रबंधन के लिए वर्ष 2022 में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो खानें वर्ष 2009 से पहले बंद/परित्यक्त/समाप्त हो गई हैं। एमसीपी में खान बंद करने के तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय मुद्दे शामिल हैं जो खान बंद करने की क्रमिक तथा अंतिम गतिविधियों को पूरा करने के दौरान भूमि पुनरूद्धार पर जोर देते हैं। एमसीपी का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि:

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता न किया जाए
2. पर्यावरणीय संसाधन न्यूनतम भौतिक और रासायनिक गिरावट के अधीन हो
3. स्थल के खनन के बाद का उपयोग लंबी अवधि में लाभदायक और संधारणीय हो
4. सामाजिक–आर्थिक लाभों को अधिकतम करने का अवसर दिया जाए।

च) **हरित पहलें:**

- खनित क्षेत्रों और बाह्य ओबी डम्पों का पुनरूद्धार सीआईएल द्वारा शुरू की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय न्यूनीकरण गतिविधियां हैं। खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) और कोयला मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार की गई खान समापन योजना (एमसीपी) के अनुसार किया जा रहा है। ऊपरी मिट्टी को ओपनकास्ट खानों में रोपण क्षेत्रों में परिरचित, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है। लाभकारी भूमि उपयोग के लिए खनन किए गए क्षेत्रों का समवर्ती पुनरूद्धार और पुनर्वास किया जाता है। तकनीकी पुनरूद्धार पूरा होने के बाद, वृक्षारोपण किया जाता है जिसे जैविक पुनरूद्धार कहा जाता है।

- सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण और ग्रीन बेल्ट विकसित किए जाते हैं। एवेन्यू वृक्षारोपण, ओबी डंपों पर वृक्षारोपण, खानों में और उसके आसपास वृक्षारोपण, आवासीय कालोनियों और उपलब्ध सरकारी भूमि में वृक्षारोपण मौजूदा और नई परियोजनाओं में भी किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त, एमओईएफएंडसीसी द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत, कोल

इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने विभिन्न राज्यों में अवक्रमित वन भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए पहल शुरू की है।

- पारिस्थितिकी पुनरूद्धारः अशांत भूमि के प्रभावी जैव–पुनरूद्धार के लिए, तीन स्तरीय वृक्षारोपण अवधारणा पर वनीकरण के लिए पौधों की उपयुक्त प्रजातियों का चयन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। सीआईएल द्वारा पुनरूद्धारित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का आदान–प्रदान करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) को नियुक्त किया गया है। एफआरआई के तकनीकी सहयोग से सीआईएल की सहायक कंपनियों में कई पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन स्थलों का विकास किया गया है।
- पुनरूद्धारित भूमि में इको–पार्कः सीआईएल के कई खनित क्षेत्रों और कमान क्षेत्रों में इको पार्क विकसित किए गए हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

एससीसीएल वर्तमान में तेलंगाना राज्य के छह जिलों में फैली 17 ओपनकास्ट खानों और 22 भूमिगत खानों का प्रचालन कर रही है। एससीसीएल पर्यावरण के प्रति जागरूक है और कोयला खानों में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में सक्रिय है।

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में, एससीसीएल ने पर्यावरण नीति तैयार की है। पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, योजना, निष्पादन और निगरानी प्रणालियों में एकरूपता लाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सतत कोयला खनन कार्य सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी खानों, विभागों और अन्य इकाइयों को पर्यावरण नीति, उद्देश्य और दिशा–निर्देश परिचालित किए गए थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए एससीसीएल विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों, नियमों का अनुपालन कर रही है और पर्यावरणीय मानदंडों/शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना पर पर्यावरण प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। पर्यावरण संरक्षण और अनुपालन के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरियों में निर्धारित शर्तें, प्रचालन के लिए सहमति और अन्य सांविधिक मंजूरियों संबंधी रिपोर्टें समय–समय पर विनियामक एजेंसियों को प्रस्तुत की जा रही हैं। सीपीसीबी से मान्यता प्राप्त एनएबीएल द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाओं के आस–पास पर्यावरण ीय निगरानी की जा रही है और प्रदूषण की रोकथाम संबंधी आवश्यक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

एससीसीएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैः

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, एससीसीएल ने खानों में जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था और कोल हैंडलिंग संयंत्रों में मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की है।
- खान के अतिरिक्त जल को आस–पास के पानी की टंकियों में डिस्चार्ज किया जा रहा है और टैंकों की गाद निकालने का काम भी शुरू किया जाता है ताकि जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके जिससे आस–पास के ग्रामीणों द्वारा वर्ष में दो फसलों को उगाने में मदद मिलती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- ओपनकास्ट खानों में नॉन–इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक अपनाई जा रही है ताकि शोर और ब्लास्ट कंपन को नियंत्रित किया जा सके ।
- धूल दबाने और वृक्षारोपण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसे डिस्चार्ज करने से पहले खान और कॉलोनी बहिस्त्रावों को अवशोषित किया जाता है।
- ओवरबर्डन डंप के उद्धार के लिए एससीसीएल जैविक इंजीनियरिंग तकनीकों को कार्यान्वित कर रही है। इन तकनीकों का उद्देश्य अपशिष्ट और अवक्रमित भूमि को संधारित पारिस्थितिकीय भू–आकृति में बदलना है जो मृदा अपरदन, जल निकायों की गाद, जल प्रदूषण, धूल प्रदूषण को भी रोकेगी और पर्यावरण के सौंदर्य को फिर से बढ़ाएगी।
- एससीसीएल अपनी स्वयं की नर्सरियों में बड़े पैमाने पर स्थानीय पौधों की प्रजातियों को उगा रही है ताकि वह वार्षिक आधार पर अपने सभी खनन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम शुरू कर सके।
- एससीसीएल, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीएसआर और डीएमएफटी के तहत धन आवंटित कर कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक उपाय कर रही है।

- खान बंद करने की गतिविधियां कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खान योजना और खान बंद करने की योजना के अनुसार शुरू की जा रही हैं।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन के लिए अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एससीसीएल चरणबद्ध तरीके से सभी खनन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर रही है।
- आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था, पार्कों और बगीचों का विकास, कॉलोनी और उसके आसपास ग्रीनबेल्ट, रूफ–टॉप सोलर पैनल आदि उपलब्ध कराकर एससीसीएल इको–फ्रेंडली कॉलोनियां भी विकसित कर रही है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को अप्रैल, 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की वर्तमान खनन क्षमता 30.1 एमटीपीए लिग्नाइट और 20 एमटीपीए कोयले की है तथा विद्युत उत्पादन क्षमता 7558.69 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएसएचएएस) के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त है।

18. प्राधिकृत पूंजी

(i) **कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल):** दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सीआईएल के लिए प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 8000.00 करोड़ रुपये है और प्राधिकृत अधिमान्य शेयर पूंजी 904.18 करोड़ रुपये है।

सीआईएल के पिछले पांच वित्तीय वर्षों की लाभप्रदता (समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025.26 (सितंबर, 2025)
कर पूर्व लाभ	18,009.24	23,616.28	43,274.60	48,812.61	46,966.19	17,823.73

(ii) **एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल):**

एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत्त इक्विटी 1,386.64 करोड़ रु.(बाई बैक–2018 के बाद) है। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है:

निवेश	(करोड़ रु.)
इक्विटी – भारत सरकार का हिस्सा:	1,001.16
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याजसहित)	शून्य

(iii) **सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल):** सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है।

19. उत्पादन निष्पादन (एनएलसी इंडिया लिमिटेड)

वर्ष 2025–26 के दौरान ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पाद	इकाई	ब.अ. 2025—26	2024—25	2025—26 (नवंबर, 25 तक)		दिसंबर, 25 से मार्च, 2026 (प्रक्षेपण)
			वास्तविक	लक्ष्य	वर्तमान (अनंतिम)	
ओवरबर्डन	एमएम^3	190.84	168.94	125.13	110.75	65.70
लिग्नाइट	एमटी	28.10	24.06	17.81	12.66	11.40
कोयला	एमटी	20.00	17.20	12.75	9.00	9.00
पावर ग्रॉस (थर्मल)	एमयू	24,292.90	19,326.07	15,710.81	10,726.77	8,582.09
पावर एक्सपोर्ट (एनएलसीआईएल)	एमयू	26,009.38	16,843.43	16,876.15	10,415.18	9,133.23
पावर ग्रॉस (एनटीपीएल)	एमयू	7,446.00	5,236.45	4,895.00	3,423.01	2,551.00
पावर एक्सपोर्ट (एनटीपीएल)	एमयू	7,055.00	4,848.12	4,638.00	3,167.02	2,417.00
पावर ग्रॉस (एनयूपीपीएल)	एमयू	9,765.36	1,208.73	5,452.92	2,343.44	4,312.44
पावर एक्सपोर्ट (एनयूपीपीएल)	एमयू	9,252.68	1,116.49	5,166.64	2,084.78	4,086.04

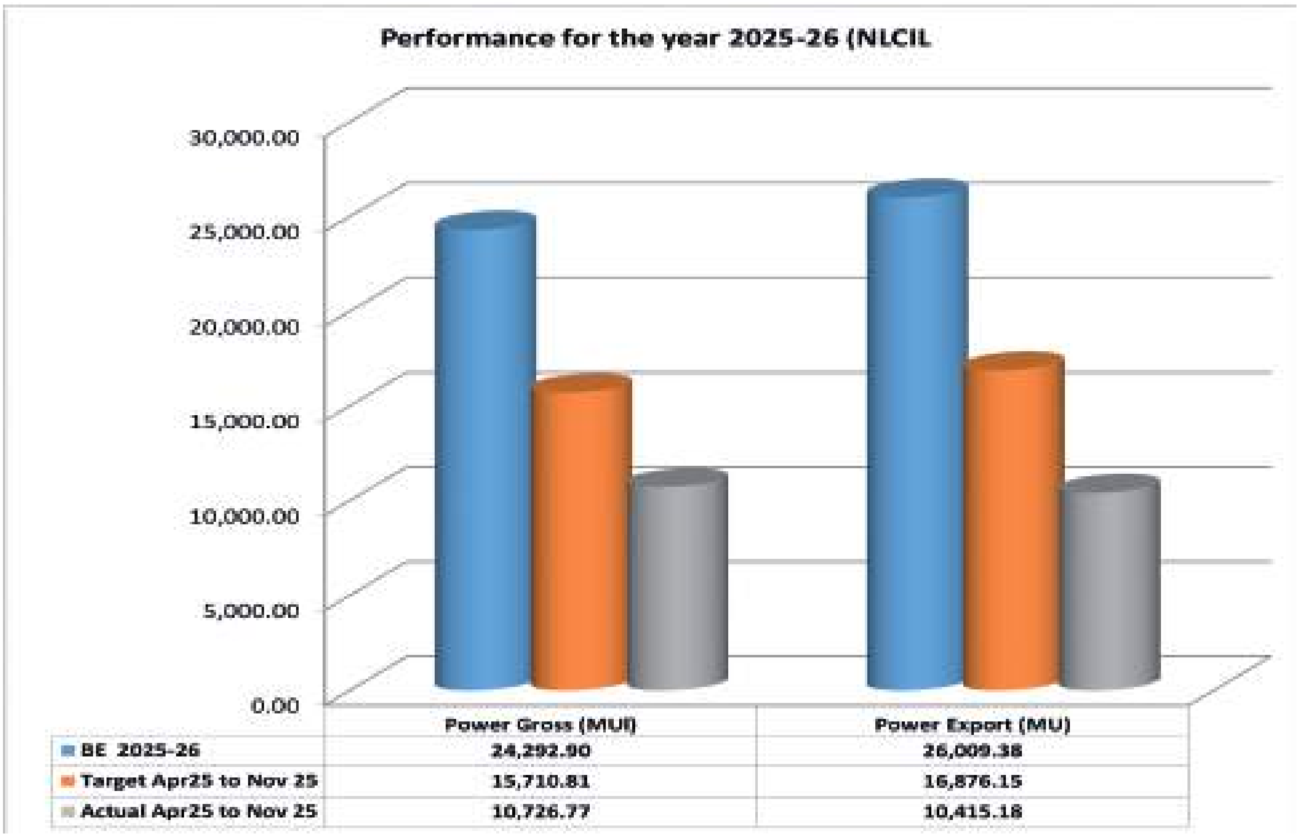

Performance for the year 2025-26 (NTPL)

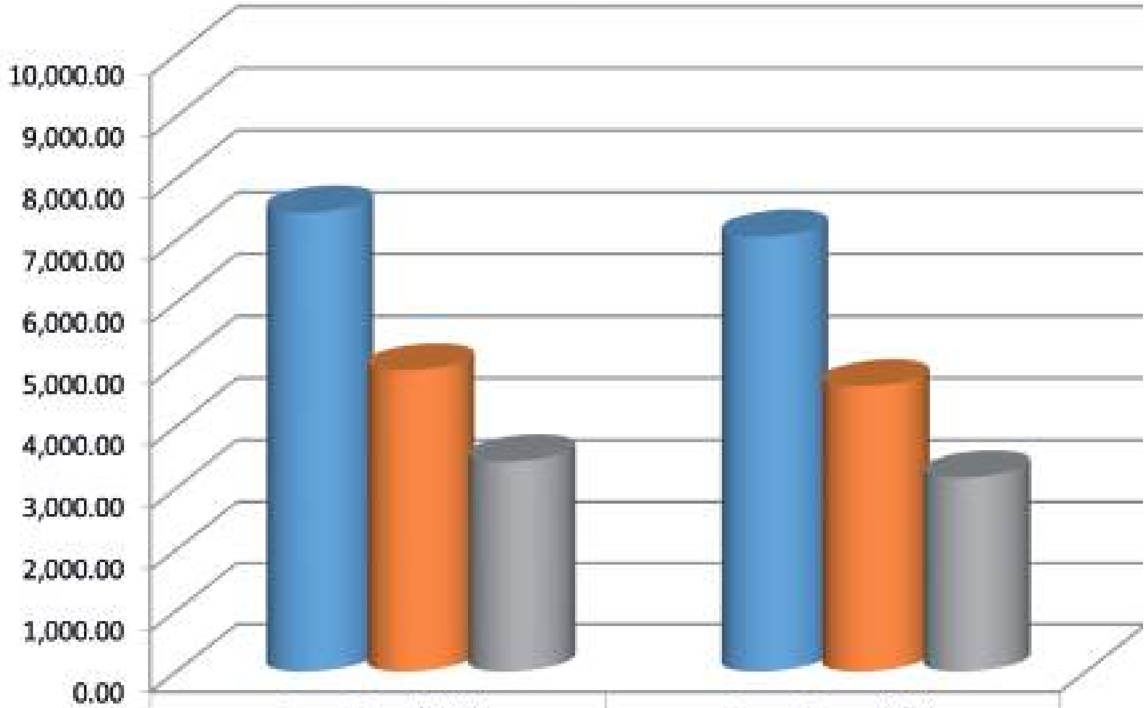

	Power Gross (MU)	Power Export (MU)
BE 2025-26	7,446.00	7,055.00
Target Apr25 to Nov 25	4,895.00	4,638.00
Actual Apr25 to Nov 25	3,423.01	3,167.02

Performance for the year 2025-26 (NUPPL

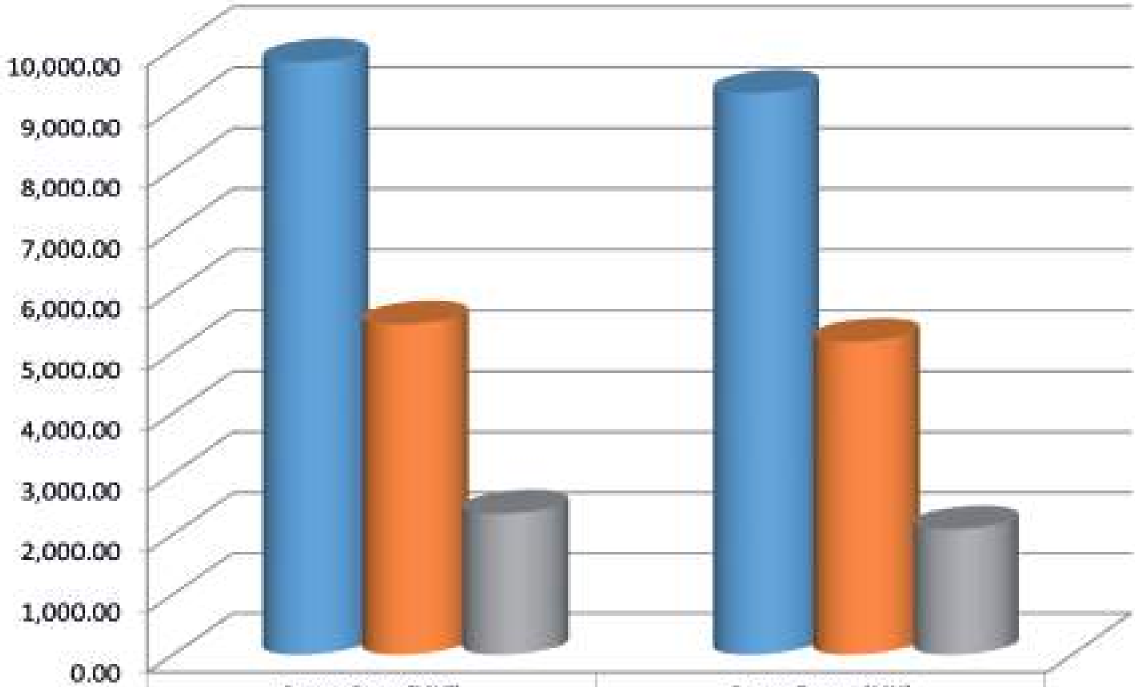

	Power Gross (MU)	Power Export (MU)
BE 2025-26	9,765.36	9,252.68
Target Apr25 to Nov 25	5,452.92	5,166.64
Actual Apr25 to Nov 25	2,343.44	2,084.78

20. उत्पादकता

वर्ष 2024–25 और 2025–26 में उत्पादकता निष्पादन नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस):

ओएमएस	इकाई	2024–25 वास्तविक	2025–26 (नवंबर, 25 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)
खानें	टन	17.60	19.69	15.16
तापीय	कि.वा./घंटा	36929	42186	33065

21. प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) –एनएलसीआईएल:

वर्ष 2024–25 और 2025–26 में उत्पादकता निष्पादन नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

पीएलएफ (% में)	2024–25 वास्तविक	2025–26 (नवंबर, 25 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)
टी.पी.एस–I ई	81.72	80.42	59.40
टी.पी.एस–II	52.49	73.53	40.72
टी.पी.एस–II ई	24.51	52.80	34.35
बरसिंगसर टीपीएस	80.35	72.54	69.54
एनएनटीपीपी	76.79	81.88	63.81
एनटीपीएल	59.78	83.59	58.45

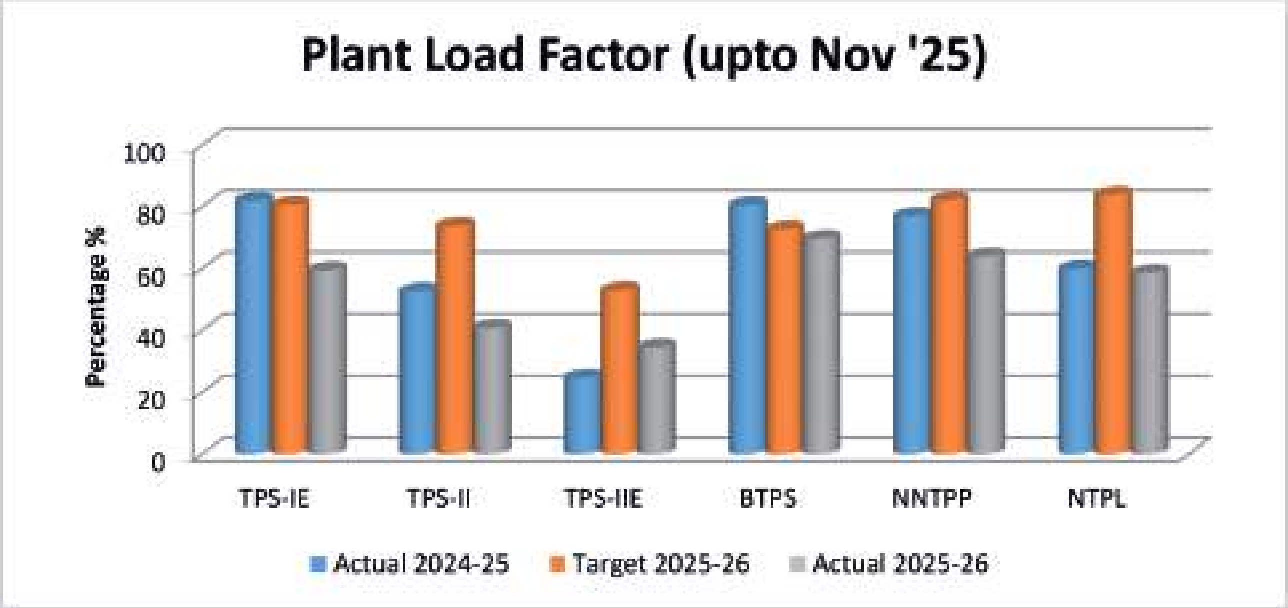

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम है जिसमें तेलंगाना सरकार और भारत

सरकार का 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल कुल अखिल भारत उत्पादन में लगभग 7.5: का योगदान दे रही है।

कोयला उत्पादनः.

(मिलियन टन में)

2025–26 (अनंतिम) जनवरी – दिसंबर, 2025					
कंपनी	लक्ष्य (जनवरी–25 से दिसंबर–25)	वास्तविक	उपलब्धिः	जनवरी 24 से दिसंबर 24	वृद्धि
एससीसीएल	72.79	65.97	90.63%	67.12	– 1.71%

कोयला प्रेषणः

(मिलियन टन में)

2025–26 (अनंतिम) जनवरी – दिसंबर, 2025					
कंपनी	लक्ष्य (जनवरी–25 से दिसंबर–25)	वास्तविक	उपलब्धिः	जनवरी 24 से दिसंबर 24	वृद्धि
एससीसीएल	72.24	63.25	87.56	65.02	-2.72

क्षेत्र–वार प्रेषण– एससीसीएल

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	जनवरी 24 से दिसंबर 24	जनवरी 25 से दिसंबर 25	वृद्धि%
विद्युत	58.90	58.76	-0.23
कैप्टिव विद्युत	1.55	1.15	-25.57
मेजर सीमेंट	1.59	0.81	-49.12
स्पॉन्ज आयरन	0.22	0.11	-47.93
हैवी वॉटर प्लांट	0.50	0.46	-8.55
ई–नीलामी	0.48	0.39	-19.83
अन्य	1.79	1.58	-11.74
कुल	65.02	63.25	-2.73

उत्पादकता (ओएमएस) : चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए उत्पादकता लक्ष्य (समग्र खानें) निम्नानुसार हैः–

(मिलियन टन में)

वर्ष	सिंगरनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	समग्र
2024–25	0.98	14.88	5.79
2025–26 (नवंबर, 2025 तक अनंतिम)	0.84	15.69	6.98

कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों अर्थात प्रचलन में आवास एवं स्वच्छता, शिक्षा, मनोविनोद, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं सहित चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को जारी रखा जा रहा है।

एससीसीएल की कल्याण गतिविधियों का सारांश निम्नलिखित हैः

तेलंगाना सरकार के दो साल के कार्यकाल के तहत कर्मचारी कल्याण एससीसीएल की उपलब्धियों की पहचान में से एक रहा है। राज्य गठन के बाद श्रमिकों के लिए लाभ का हिस्सा 33ः से बढ़कर 34ः हो गया, जिससे ₹4,386.34 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ। पहली बार, प्रदर्शन वर्ष 2023–24 के लिए तेलंगाना सरकार के निर्देशों के अनुसार, 27,518 अनुबंध कर्मियों को उनके संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से प्रति व्यक्ति ₹5,000 की दर से लाभ बोनस वितरित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राशि को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।

सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है, और लाभ बोनस को अनुबंध श्रमिकों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। अनुकंपा रोजगार के सरलीकरण से 18,370 परिवार लाभान्वित हुए हैं, और एससीसीएल ने 2024 में एडसिल के माध्यम से आयोजित पारदर्शी सीबीटी–आधारित परीक्षाओं के माध्यम से 555 उम्मीदवारों की भर्ती पूरी की है। अन्य कल्याणकारी पहलों में ब्याज मुक्त आवास ऋण, त्योहार अग्रिमों में वृद्धि, सात क्षेत्रीय अस्पतालों और 21 औषधालयों के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, दुर्घटना बीमा कवर, बाल देखभाल अवकाश और आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति शामिल हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक समग्र रहने का माहौल प्रदान करने के लिए खेल, शैक्षिक, मनोरंजक और आवास बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया है।

प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारीः

- एससीसीएल संयुक्त वार्ता में शामिल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बनाकर प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को अपनाने में सबसे आगे है और उचित परामर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं।
- प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की अवधारणा को बहुत पहले सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में 3 स्तरों पर लागू किया गया था, यानी यूनिट/खान, क्षेत्र और कंपनी के स्तर, जिसने औद्योगिक शांति में सुधार और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों की स्थापना में संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए हैं।
- उपरोक्त के अलावा, एक 3 स्तरीय शिकायत प्रक्रिया अर्थात। कर्मचारियों की समस्याओं को समय–सीमा में हल करने के लिए इकाई स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और कंपनी स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।
- दिनांक 09–09–1998 को गुप्त मतदान के माध्यम से श्रमिक संघों के चुनाव कराने के बाद औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य में जबरदस्त सुधार हुआ है, जो अवैध हड़तालों की संख्या में बहुत कम दर तक कमी लाने और कंपनी को पिछले 26 वर्षों से लगातार लाभ कमाने में परिलक्षित हुआ है।

मांगों पर यूनियनों के साथ बातचीत में अपनाए गए सिद्धांतः

- जेबीसीसीआई दिशानिर्देश मजदूरी, भत्ते, सेवा शर्तों आदि के संबंध में किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बेंचमार्क हैं
- सभी नियुक्तियां, पदोन्नति और स्थानांतरण स्पष्ट रूप से चिन्हित रिक्तियों के खिलाफ हैं।
- वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से विकसित कार्य मानदंडों का कार्यान्वयन
- अनुशासन, कार्य मानकों आदि को बनाए रखने के लिए संविधि के तहत प्रबंधन को प्राप्त सभी कानूनी अधिकारों को लागू करना।

ठेका कर्मचारीः

- एससीसीएल ने ओबी हटाने को छोड़कर सभी आउटसोर्स किए गए कार्यों के लिए बाहरी एजेंसियों को यूनिट दर पर ठेके देने के माध्यम से ओपनकास्ट खनन कार्यों में अधिक बोझ हटाने के अलावा कुछ गैर–प्रमुख कार्यकलापों, कम मूल्यवर्धन कार्यों या नागरिक रखरखाव और मरम्मत कार्यों, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, परिवहन, वृक्षारोपण और नर्सरियों जैसे आंतरायिक प्रकृति के कार्यों को आउटसोर्स किया है। ठेकेदार बदले में अपने कर्मचारियों को आउटसोर्स नौकरियों को निष्पादित

करने के लिए नियुक्त करते हैं।

- प्रदर्शन वर्ष 2024–25 के लिए तेलंगाना सरकार के निर्देश पर 28,823 अनुबंध श्रमिकों को उनके ठेकेदार के माध्यम से / 5500/– रुपये का लाभ बोनस साझा किया गया था।

गैर–भेदभाव:

- एससीसीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, सेवा शर्तों, वेतन और भत्तों और अन्य विशेषाधिकारों/कार्य स्थितियों के संबंध में सभी वैधानिक/संवैधानिक प्रावधानों, जेबीसीसीआई/एनसीडब्ल्यूए समझौतों और पीआरसी के प्रावधानों का पालन कर रहा है। लिंग, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है। प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।

शिकायत प्रबंधन:

- एससीसीएल कर्मचारी की वास्तविक शिकायतों का निपटान करने के लिए 3 चरणों अर्थात 1) खान/विभाग स्तर 2) क्षेत्रीय स्तर एवं 3) अपीलीय प्राधिकारी (निगमित) स्तर पर कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों के निवारण हेतु सुव्यवस्थित 'शिकायत निवारण प्रक्रिया' का अनुपालन कर रही है और प्रणाली सुचारू एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है तथा यह आईडी अधिनियम, 1947 की धारा–9ग के प्रावधानों के तहत यथा–आवश्यक संगठन में औद्योगिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

- शिकायत निवारण तंत्र व्यक्तिगत कर्मचारी से संबंधित मामलों और प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मान्यता प्राप्त/प्रतिनिधियों की स्थिति ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाए जाने वाले सामान्य मामलों को छोड़कर प्रतिष्ठान के दिन–प्रतिदिन के कामकाज से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का निपटान करेगा।

- इसके अलावा, एससीसीएल कंपनी के प्रत्येक क्षेत्र में एक विनिर्दिष्ट तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त करने वाले निदेशक (पीएएंडडब्ल्यू) द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की एक नई पद्धति का भी अब अनुपालन कर रही है। (एससीसीएल के पास 3 क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में 8 से 14 खानें हैं) और प्राप्त शिकायत पर संबंधित विभाग द्वारा शिकायत के निवारण की स्थिति पर प्रत्येक याचिकाकर्ता को लिखित में जवाब दिया गया है।